न्यायालय सेशन न्यायाधीश,बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : प्रभु लाल आमेटा.
आप. वि. (जमानत)प्रकरण क्रमांक : 02/2018.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक : 232/2017 आरक्षी केन्द्र—गेण्डोली जिला बून्दी)

इन्द्र राज पुत्र पप्पू लाल,गूर्जर
निवासी ढींगसी थाना गेण्डोली
जिला बूंदी (राजस्थान) —प्रार्थी.

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन.

उपस्थित :—

1. श्री नारायण सिंह हाडा, प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता.
2. श्री बी.एस.सक्सेना,लोक अभियोजक राज्य की ओर से.

आ दे श दिनांक : 08 जनवरी,2018.

1. इस आदेशानुसार प्रार्थी—अभियुक्त इन्द्र राज द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन—पत्र का निर्णयन किया जा रहा है जो आरक्षी केन्द्र,गेण्डोली जिला बून्दी के अभियोग सॅख्या 232/2017 अन्तर्गत धारा 279,304,308 व 336 भा.दं.सं.से सम्बन्धित है और द.प्र.सं. की धारा 437 के अधीन इसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन—पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 01 बून्दी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन—पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को उपलब्ध करवायी जाकर इस पर दोनों पक्षों को सुना गया एवं अनुसंधान—सामग्री का अवलोकन किया गया।

3. अभियोजन कथानक के अनुरूप दिनांक 11 दिसम्बर,2017 को राजकीय महाराव भीम सिंह चिकित्सालय,कोटा में अभियोगी प्रेम प्रकाश ने थानाधिकारी,पुलिस थाना गेण्डोली के समक्ष एक टंकित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 10.12.2017 को रात के करीब 08.30 बजे उसका भाई किशन बिहारी व उसके दोस्त—भोमेश्वर,सूर्य प्रकाश,नरेश व लोकेश ग्राम झाली जी का बराना में चौराहे के पास अलाव जला कर ताप रहे थे । हाई कोर्ट की रोक के बावजूद मेज नदी से अवैध रूप से रेत माफिया नरेश गौतम व जुगराज गूर्जर ट्रेक्टर—ट्रोली से रेत भरवा कर ले जा रहे थे और आगे—आगे ये बोलेरो गाड़ी में चल रहे थे कि ग्राम झाली जी का बराना में चौराहे पर आये ट्रेक्टर—ट्रोली को रोक कर उसके भाई आदि ने पूछा कि अवैध तरीके से रेत क्यों ले जा रहे हो, इस पर नरेश गौतम व जुगराज गूर्जर वहॉ पर आ गये व गालियॉ देकर ट्रेक्टर—ट्रोली के चालक से कहा कि इन मादरचोदों को

ट्रेक्टर के नीचे दबा कर जान से खत्म कर दो,ये तब ही मानेंगें। इतने में ट्रेक्टर–ट्रोली के चालक इन्द्र गूर्जर ने ट्रेक्टर–ट्रोली को स्टार्ट कर, ट्रेक्टर–ट्रोली के आगे खड़े हुये उसके भाई पर जान से मारने की गरज से चढ़ा दी जिससे उसका भाई किशन बिहारी बुरी तरह से जख्मी हो गया तथा सूर्य प्रकाश,भोमेश्वर,लोकश व नरेश के भी चोटें आई तथा उसके भाई किशन बिहारी की मृत्यु हो गई । यह सारी घटना उसे उसके भाई के उक्त दोस्तों ने बताई है ।

इस आशय की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र,गेण्डोली जिला बून्दी में उक्त अभियोग अन्तर्गत धारा 302 व 323/34 भा.दं.सं.पंजीकृत किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान यह मामला धारा 279,304,308 व 336 भा.दं.सं. के अधीन बनना पाया गया । अभी यह मामला अनुसंधानाधीन है ।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से यह कहा गया कि इसे इस प्रकरण में द्वेषवश झूठे तौर से आलिप्त किया गया है जबकि इसने उपर्युक्त आशय का कोई अपराध नहीं किया । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी–अभियुक्त रेत की ट्रोली लेकर आ रहा था तो वहॉ पर 7–8 व्यक्ति अवैध वसूली कर रहे थे जो ट्रेक्टर–ट्रोली को रूकवा पर उस पर चढ़ गये। इस दौरान खींचतान पर एक व्यक्ति गिर कर ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह मामला धारा 279 व 304 ए. भा.दं.सं. की परिधि में आता है ।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 22.12.2017 से क्रमशः पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है,अभी इस प्रकरण का शेष अनुसंधान पूर्ण होकर अन्वीक्षा सम्पन्न होने में काफी समय लगना सम्भाव्य है। इन परिस्थितियों में उसे जमानत पर उन्मुक्त किया जाये।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने इस जमानत आवेदन–पत्र का घोर विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त व अन्य चोरी–छुपे नदी से रेत का अवैध खनन कर ले जा रहे थे जब कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगाई हुई है। ये लोग जब चोरी–छुपे अवैध खनन कर रेत को लेकर जा रहे थे तो कुछ ग्रामवासियों ने इन्हें रूकवाना चाहा तो इन लोगों ने यह कहा था कि ट्रेक्टर–ट्रोली को रोकने की उनकी औकात कैसे हो गई ? साथ ही यह भी कहा गया कि इन लोगों को ट्रेक्टर–ट्रोली के नीचे दबा कर जान से मार दो तब ही ये लोग मानेंगे,यह कहने पर ट्रेक्टर–ट्रोली के चालक इन्द्र गूर्जर ने ट्रेक्टर–ट्रोली को स्टार्ट कर, ट्रेक्टर–ट्रोली के आगे खड़े हुये किशन बिहारी पर जान से मारने की गरज से चढ़ा दी जिससे किशन बिहारी की मृत्यु हो गई । अभी यह मामला अनुसंधानाधीन है। यह हत्या का गम्भीर प्रकरण है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर उन्मुक्त नहीं किया जाये।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया । अनुसंधान–सामग्री के अवलोकन से यहॉ प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रारम्भ में यह मामला धारा 302 व 323/34 भा. दं.सं. में दर्ज किया गया था तथा बाद में मामला धारा 279,304,308 व 336 भा.दं.सं. की परिधि में आना माना गया है। जिस प्रकार से एवं जिन हालात में यह अपराध घटित हुआ है, उसे देखते हुये,इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर बिना

कोई मत व्यक्त किये,प्रकरण की गम्भीरता,समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये,इस न्यायालय के मत में इसे जमानत पर उन्मुक्त किया जाना न्यायसंगत,उचित एवं समीचीन नहीं है।

7. अतः प्रार्थी—अभियुक्त इन्द्र राज द्वारा उपर्युक्त रूप से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है।

(प्रभु लाल आमेटा)
सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 08 जनवरी,2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)